भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1671

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना

†1671. श्री बी.बी. पाटिल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यटन क्षेत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और औद्योगिक हितधारकों से प्राप्त सुझावों को शामिल करके एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य है:

i. यात्रा, आवास और व्यय में वृद्धि द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना और भारत को पूरे वर्ष यात्रा करने योग्य पर्यटक गंतव्य बनाना,

ii. पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमिता के अवसरों का सृजन करना और कुशल श्रमशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करना,

iii. पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना और निजी क्षेत्र निवेश को आकर्षित करना,

iv. देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और वृद्धि,

v. देश में पर्यटन के स्थायी, जिम्मेदार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।

(ख): पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटन स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाने हेतु इन पर्यटन स्थलों पर योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए ''एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान'' परियोजना आरंभ की है । इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, की कंपनियों, ट्रस्ट, एनजीओ, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों को 'स्मारक

मित्र' बनने और अपनी रूचि तथा सीएसआर एवं अन्य निधियों के तहत स्थायी निवेश मॉडल के रूप में व्यवहारिकता के अनुसार इन स्थलों पर मूलभूत और उन्नत पर्यटक सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

2. ''मिशन मोड में पर्यटन'' को प्रोत्साहित करने और सरकार के निर्णय के अनुरूप कार्यनीतियों पर विचार करने संकल्पना बनाने तथा उन्हें तैयार करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 28 से 29 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में 'मिशन मोड में पर्यटन: सम्मिलन और सार्वजनिक निजी साझेदारी' थीम पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया ।
3. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक संचालन समिति की स्थापना की है । इस समिति में प्रमुख संबंधित मंत्रालयों, औद्योगिक संघों (सीआईआई, एफआईसीसीआई, एचएआई, एचएचएआई) और इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं ।
4. स्वदेश दर्शन 2.0 के दिशानिर्देशों में राज्यों को निजी क्षेत्र के लिए अवसरों और सार्वजनिक-निजी साझेदारी हेतु प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है ।
5. प्रशाद योजना में इस परियोजना के तहत निर्मित/निर्मित की जाने वाली सुविधाओं के केवल संचालन और अनुरक्षण के लिए पीपीपी मोड का प्रावधान है ।
6. पर्यटन मंत्रालय ने ट्रेवल फॉर लाइफ पहल आरंभ की है । ट्रेवल फॉर लाइफ का लक्ष्य पर्यटन संसाधनों की खपत हेतु पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवसायों के लिए उठाए गए सुविचारित और सुनियोजित कदमों के माध्यम से देश में स्थायी पर्यटन का संवर्धन करना है ।
7. पर्यटन मंत्रालय देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने, नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और संबद्धता की भावना का सृजन करने और देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थानीय स्तर पर नौकरियों के सृजन के लिए देखो अपना देश पहल के तहत वेबिनारों का आयोजन कर रहा है ।
8. पर्यटन मंत्रालय ने छात्रों में देश के इतिहास, विरासत, पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से युवा पर्यटन क्लबों, आईएचएम, आईआईटीटीएम, विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया है ।

(ग): पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से लागू विनियमों और कानूनों के अध्यधीन भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित रूट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है । होटलों, रिजॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति है ।

*****